न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पेशल अपील आई0डी0सं03901 एवं 3902/2012/एलआर/जोधपुर

1—भीकमचन्द पुत्र निमचन्द
2—इन्द्रादेवी बेवा ओमप्रकाश
3—रमेश पुत्र ओमप्रकाश
4—मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
5—श्रीमती मन्जू पुत्री ओमप्रकाश
6—पारसमल पुत्र पूनमचन्द
7—जमनादेवी बेवा पूनमचन्द
8—उगमचन्द पुत्र चम्पालाल
9—हीरालाल पुत्र चम्पालाल
10—बालकिशन पुत्र चम्पालाल
11—अन्नराज पुत्र चम्पालाल
12—राजेन्द्र पुत्र चम्पालाल
13—श्रीमती बिदामी देवी पत्नि मदनलाल
14—जगदीश पुत्र मदनलाल
15—मांगीलाल पुत्र मदनलाल
16—गौतमचन्द पुत्र किस्तुरमल
सभी जाति महाजन निवासी गांव पाल तहसील जोधपुर

———अपीलार्थी

बनाम

1—श्रीमती भीमा पत्नि गोपाराम
2—किशनाराम पुत्र गोपाराम
3—सुमेराराम पुत्र गोपाराम
सभी जाति महाजन निवासी गांव पाल तहसील जोधपुर
4—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

———प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री हरिशंकर भारद्वाज, सदस्य

उपस्थितः
श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़ एवं श्री मुकेश जैन , अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोकनाथ, अभिभाषक प्रत्यर्थी
श्री आर0के0गुप्ता, राजकीय अभिभाषक

दिनांक 5 जून, 2012

निर्णय

हस्तगत दोनों प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8—5—2012 के विरूद्ध विशेष अपील दायर करने की अनुमति के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 10(i) के परन्तुक के

अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों ही प्रार्थना पत्रों में वर्णित पक्षकार एवं विषय वस्तु समान होने के कारण दोनों प्रार्थना पत्रों का निष्पादन एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक से रखी जावे।

2– संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर के द्वारा एक रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–10–72 को अपास्त करने एवं दूसरा रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत तहसीलदार जोधपुर के द्वारा दिनांक 5–8–74 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 246 को निरस्त करने के लिए प्रेषित किया गया। मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 8–5–2012 को दोनों रेफरेन्स स्वीकार कर सहायक कलेक्टर जोधपुर की डिक्री एवं निर्णय दिनांक 18–10–1972 को अपास्त करने तथा तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 5–8–74 को निरस्त करने का निर्णय प्रदान किया है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर उसके विरूद्ध मण्डल की खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतुं ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं।

3– उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि मण्डल की एकल पीठ ने कानून के सारवान एवं सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत रेफरेन्स स्वीकार किये हैं अतः प्रार्थी को आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये।

5– अभिभाषक अप्रार्थी ने निवेदन किया कि एकल पीठं ने सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने के लिए अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित निर्णय के विरूद्ध विशेष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रावधान नहीं है अतः उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। उनके दूसरे प्रार्थना पत्र के संबंध में उनका कथन है कि तहसीलदार जोधपुर ने नामान्तरकरण सं0246 सहायक कलेक्टर के द्वारा पारित डिक्री दिनांक 18–10–72(त्रुटिवश 9–10–72) के अनुसरण में स्वीकृत किया गया है। जब डिक्री दिनांक 18–10–72 ही अवैध होने के कारण अपास्तनीय है तो उसके

अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण वैध हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दूसरे प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

6— हमनें उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। मण्डल के द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 8—5—2012 का अध्ययन किया। आलोच्य निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर ने उनके सम्मुख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद को बहक वादी निर्णीत कर प्रतिवादी को ग्राम पाल स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं0283 रकबा 33 बीधा 4 बिस्वा के वादी के शांतिपूर्ण कब्जे एवं उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए स्थाई रूप से प्रतिबंधित किया है जबकि इस निर्णय के अनुसरण में जारी डिक्री में यह अंकित कर दिया गया है कि वादी प्रतिवादी को खसरा नं0283 रकबा 33 बीधा 9 बिस्वा का खातेदार मानता है। मण्डल की एकल पीठ ने डिक्री का निर्णय से भिन्न होने के कारण धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार कर डिक्री को अपास्त करने के आदेश दिये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित निर्णय के विरूद्ध विशेष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रावधान नहीं है जैसा कि 1980 आरआरडी पेज 250, 1969 आरआरडी पेज 318, 1973 आरआरडी पेज 510 एवं 1967 आर0एल0डब्ल्यू0 224(HC) में अवधारित किया गया है।

7— जहॉ तक धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नामान्तरकरण सं0246 दिनांक 5—8—74 के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत करने एवं मण्डल के द्वारा रेफरेन्स स्वीकार कर नामान्तरकरण के निरस्त करने के आदेश देने का प्रश्न है नामान्तरकरण सं0246 डिक्री दिनांक 18—10—72 का परिणात्मक कृत्य consequential act है। अतः उसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव से मुक्त करके नहीं देखा जा सकता।

8— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 10(i) के अन्तर्गत विशेष अपील का दायरा बहुत सीमित है। 1970 आरआरडी पेज 13 पर राजस्व मण्डल ने निर्णीत किया है कि The purpose is to examine whether the learned Single Member sittinng singly in revision exercised the jurisdiction properly or not. माननीय न्यायालय ने 1969 R.R.D. 367 पर पुनः अवधारित किया है कि Special appeal lies merely to examine

whether Single Bench exercised jurisdiction in revision properly.

9– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस खण्ड पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–5–2012 के विरूद्ध विशेष अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक आधार विद्यमान नहीं होने के कारण हम प्रार्थीगण को वांछित अनुमति दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। फलतः प्रार्थीगण द्वारा विशेष अपील की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतद्वारा खारिज किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.6.2012

(हरिशंकर भारद्वाज)
सदस्य